उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

दिनांक 31 अगस्त, 2021

समक्ष : माननीय मनोज कुमार तिवारी, जज,

रिट पिटिशन (एम/एस) नम्बर 1666 वर्ष 2021

वैभव वर्मा ..... याचिकाकर्ता

(द्वारा श्री अमर मूर्ति शुक्ला, अधिवक्ता)

बनाम

श्रीमती प्रिया वर्मा उर्फ पूजा वर्मा ..... प्रतिवादी

(कोई उपस्थित नहीं)

<u>निर्णय</u>

1. याचिकाकर्ता (वैभव वर्मा) प्रतिवादी (श्रीमती प्रिया वर्मा उर्फ पूजा वर्मा) का पति है, उसने अपनी पत्नी (इस मामले की प्रतिवादी) के विरुद्ध परिवार न्यायालय, हल्द्वानी, जिला नैनीताल में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ik) के तहत विवाह विच्छेद हेतु एक याचिका दायर की है, जो वाद संख्या 114 वर्ष 2017 के रूप में पंजीकृत है।

2. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की गयी है। प्रतिवादी ने जवाबदावा दाखिल करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा उसके खिलाफ लगाये गये क्रूरता के आरोप से इंकार किया है।

3. याचिकाकर्ता ने दिनांक 23.05.2019 को इस आवेदन के साथ एक प्रार्थनापत्र दायर किया कि प्रतिवादी को सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के सम्बन्ध में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में अपना मेडिकल रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु आदेशित किया जाए, जिसमें उसकी रीड की हड्डी (एल–1) टूट गयी थी और उसके पश्चात चिकित्सा विशेषज्ञों के सक्षम बोर्ड द्वारा प्रतिवादी की चिकित्सीय जांच की गयी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह शादी से पहले ही स्पाइनल–टीबी–पॉट्स स्पाइन जैसी किसी मेडिकल स्थिति से पीड़ित है।

4. उक्त प्रार्थनापत्र को विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हल्द्वानी द्वारा आदेश दिनांकित 12.08.2021 के द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत यह याचिका दायर की गयी है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमर मूर्ति शुक्ला को सुना और

अभिलेख का अवलोकन किया।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमर मूर्ति शुक्ला का कहना है कि परिवार न्यायालय को हमेशा उचित मामले में पति या पत्नी के जांच के लिये आदेश पारित करने का अधिकार है, क्योंकि जब ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो इससे न्यायालय को जीवनसाथी की चिकित्सीय स्थिति के सम्बन्ध में सकारात्मक निष्कर्ष देने में सुविधा होगी। इस मामले के समर्थन में श्री शुक्ला ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधिव्यवस्था शारदा बनाम धर्मपाल (2003) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस 493 और ललित किशोर बनाम मीनू शर्मा ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 1240 को प्रस्तुत किया है।

7. विद्वान परिवार न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा की गयी प्रार्थना पर विस्तार से विचार किया है और वैध कारण बताते हुए उसे खारिज कर दिया है। निचली अदालत ने माना है कि याचिकाकर्ता ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी और प्रतिवादी ने अपने बयान में कोई बचाव स्थापित नहीं किया है कि याचिकाकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों के हाथों किसी हिंसा या दुर्व्यवहार के कारण एल–1 क्षेत्र में कोई फ्रैक्चर हुआ था। आगे यह माना गया है कि अपनी तलाक की याचिका में याचिकाकर्ता ने यह मामला स्थापित नही किया था कि प्रतिवादी ने शादी के अनुबन्ध के समय याचिकाकर्ता से अपना मेडिकल इतिहास छुपाया था और इसके अलावा यह याचिकाकर्ता का तर्क नहीं था कि उसे अपनी शादी करने में समस्या का सामना करना पड़ा था। पत्नी का इलाज किया गया या प्रतिवादी की चिकित्सीय स्थिति ने पक्षों के बीच वैवाहिक सम्बन्धों को प्रभावित किया। आगे यह माना गया कि याचिकाकर्ता के स्वयं के दर्शाये अनुसार प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के नुकसान के लिये उसकी स्वास्थ्य स्थिति का फायदा नहीं उठाया था और ऐसी प्रार्थना करके, याचिकाकर्ता पूरी तरह से एक नया मामला बनाने की कोशिश कर रहा है।

8. हालांकि तलाक की याचिका की प्रति रिकॉर्ड पर नहीं लायी गयी है, तथापि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निष्पक्ष रूप से कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में की गयी प्रार्थना तलाक की याचिका में की गयी दलीलों को खारिज करती है।

9. यह सच है कि हिन्दू विवाह अधिनियम या इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो अदालत को वैवाहिक कार्यवाही में किसी पक्ष को चिकित्सा परीक्षण के लिये मजबूर करने के लिये निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। हालांकि, यह न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने से नहीं रोकता है। न्यायालय को

हमेशा स्वयं को संतुष्ट करने का अधिकार है कि क्या उसके सामने कोई पक्ष किसी चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है, उस आधार पर साक्ष्य लेने के लिये जिसके लिये वैवाहिक कार्यवाही शुरू की गयी थी।

10. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य यह देखना है कि सच्चाई सामने आये, इसलिये कानून में किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी, न्यायालय के पास क्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिये कोई भी आदेश पारित करने की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक उचित मामले में अंतर्निहित शक्ति है।

11. शारदा बनाम धर्मपाल (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक वैवाहिक न्यायालय प्रतिवादी की चिकित्सा जांच के लिये इस चेतावनी के साथ आदेश दे सकता है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब आवेदक के पास ऐसा आदेश पारित करने के लिये प्रथम मजबूत मामला हो और उसके पास पर्याप्त सामग्री हो। इसी तरह का विचार ललित किशोर बनाम मीनू शर्मा (सुप्रा) के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया है।

12. अब, वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हैं, प्रतिवादी के मेडिकल रिकॉर्ड और उसकी चिकित्सा स्थिति के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय, अगर अदालत के समक्ष पेश की जाती है तो अदालत को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद नहीं मिलेगी। याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त किये जाने वाले साक्ष्य का याचिकाकर्ता द्वारा अपनी तलाक की याचिका में उठाए गए क्रूरता के आधार से कोई प्रासंगिकता नहीं है। अपनी तलाक याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को लगी चोट या उसकी चिकित्सीय स्थिति के बारे में कोई दावा नहीं किया था, जिसे याचिकाकर्ता अब प्रतिवादी की चिकित्सा जांच के माध्यम से पता लगाना चाहता है।

13. मामले को देखते हुए, विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई भी हस्तक्षेप अनावश्यक होगा, याचिकाकर्ता द्वारा जो निर्णय इस मामले में प्रस्तुत किये गये हैं, वह याचिककर्ता के वाद को समर्थन नहीं करते हैं।

14. तद्नुसार रिट याचिका असफल हो जाती है और उसे खारिज किया जाता है।

15. व्यय के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

(मनोज कुमार तिवारी, जज)